डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(औ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

बज अदालत-न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) बांदीकुई मुकाम-बांदीकुई

बज इजलास-रामसिंह राजावत आर.ए.एस सहायक कलेक्टर (फास्ट-ट्रैक) बांदीकुई

उनवान- बच्चन सिंह बनाम मुसहिब वगै

दावा उदघोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मु.नं 05/06 न्यायालय हाजा में दर्ज मु. नं. 2023/336 (202601/OA15350001)

आदेश है कि वाद वादी दावा इस्तकरारहक एवम् हुकम इम्तनाई दवामी विरूद्ध प्रतिवादी रामा मैडी तह० बसवा हाल बांदीकुई भूमि कास्त आराजियात खसरा नम्बर 282 रकबा 2.71 है० खसरा नम्बर 291 रकबा 0.03 है०, खसरा नम्बर 292 रकबा 10-03 है०, कुल किता खे० नं० 3 कुल रकबा 2.23 है०, का पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी होकर प्रकरण बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। मेरे द्वारा आज दिनांक 06.02.2026 को निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मिज......मुबलिग.................................बाबत..............................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बसरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक का अदा करें। बतारीख मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 06 माह 02 सन् 2026 को जारी की गई।

06/2/26

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक)
बांदीकुई

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दाअलेह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा	निल	निल	स्टाम्प अर्जी दावा	निल	निल
स्टाम्प कागजात सबूत मुकम्मल			स्टाम्प अर्जी		
वकील खर्चा तलबाना			मुकम्मल वकील		
फीस कमिश्नर			खर्चा तलबाना		
खर्चा इजराय हुक्मनामा			फीस कमिश्नर		
मुतफर्रिक			खर्चा इजराय हुक्मनामा		
मीजान			मुतफर्रिक		
			मीजान		

दस्तखत 06/2/26
आर.ए.एस
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक)
बांदीकुई

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट—ट्रेक) बांदीकुई

मु.न. 95/08
प्रकरण दर्ज दिनांक 02.11.2008
न्यायालय हाजा में दर्ज मु. न. 2023/336 (202601/OA15150001)
न्यायालय हाजा मे दर्ज दिनांक 23.05.2023
निर्णय दिनांक 06/02/2026

उनवान

1. बचनसिंह पुत्र गिरधरसिंह जाति राजपूत साकिन मैंडी तह० बांदीकुई जिला दौसा।

:— वादी

बनाम

1 मूलसिंह फौत के बजाय:—
1 प्रतापसिंह पुत्र मूलसिंह फौत के बजाय—
1/1.निर्मल पुत्र प्रतापसिंह
1/2.प्रियंका पुत्री प्रताप सिंह
2 रघुराज सिंह पुत्र मूलसिंह
3.मीरा देवी पुत्री मूलसिंह
4 मुन्नी देवी पुत्री मूलसिंह
5.शीला उर्फ गुड्डी पुत्री मूलसिंह

} जाति समस्त राजपूत निवासी मैंडी तहसील बांदीकुई जिला दौसा

:— प्रतिवादीगण

2. भारतीय स्टेट बैंक कं० लि० शाखा राजगढ़ जरिये मैनेजर भारतीय स्टेट बैंक, राजगढ़ अलवर
3.यूको बैंक बड़ियाल कलाँ जरिये मैनेजर, यूको बैंक बड़ियाल कलाँ तह0 बांदीकुई

:—तरतीबी प्रतिवादीगण

उपस्थिति:— वादी अधिवक्ता श्री जगदेव कसाना एडवोकेट
प्रतिवादी अधिवक्ता श्री अमर सिंह गुर्जर एडवोकेट।

दावा इस्तकरारहक एवम् हुक्म इम्तनाई दवामी

निर्णय

दिनांक 06.02.2026

वाद वादी दावा इस्तकरारहक एवं हुक्म इम्तनाई दवामी विरूद्ध प्रतिवादीगण न्यायालय उप जिला कलक्टर बांदीकुई के न्यायालय मे पेश किया गया था। शीघ्र सुनवाई हेतु न्यायालय हाजा में स्थानान्तरित होकर पेश हुआ जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है— ग्राम मैंडी तह० बसवा की तन मे भूमि काश्त आराजियात खसरा नम्बर 282 रकबा 2.71 है० खसरा नम्बर 291 रकबा 0.03 है०, खसरा नम्बर 292 रकबा 10—03 है०, कुल किता ख० न० 3 कुल रकबा 2.23 है०, वादी के हक हकूक खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है जो वादी को अपने पिता श्री गिरधर सिंह से विरासत में प्राप्त हुई है। उक्त भूमि वादी के पिता श्री गिरधर सिंह की स्व अर्जित सम्पत्ति थी। भूमि वादग्रस्त के प्रतिवादीगण स0 2 व 3 के पास रहन होने से उन्हें तरतीबी प्रतिवादी बनाया गया है। भूमि वादग्रस्त ख० स० 282,291 के गत सैटिलमेन्ट सं0 2052 से पूर्व ख० सं० 141,142,156, सं0 160 रहे थे तथा ख० सं० 292 बाद के सैटिलमेन्ट पूर्व ख० सं० 162 रहे थे, जिसकी खातेदारी वादी के पिता श्री गिरधर सिंह के नाम दर्ज रिकार्ड रही थी तथा वादी के पिता श्री गिरधर सिंह ही उक्त भूमि वादग्रस्त पर अपने जीवन पर्यन्त काबिज काश्त होकर मुस्तफीद होते रहे तथा बाद फौतगी श्री गिरधर सिंह वादी ही उक्त भूमि

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
बांदीकुई

वादग्रस्त पर काबिज काश्त होकर मुस्तफीद होता चला आ रहा है तथा सरकारी लगान अदा करता चला आ रहा है। उक्त भूमि वादग्रस्त से प्रतिवादी का कतई कोई सरोकार नहीं है। भूमि वादग्रस्त में वादी ने अपनी बोरिंग खुदवा कर बिजली लगा रखी है तथा अपनी आबादी बसा रखी है तथा लगभग 5 बीघा भूमि वादग्रस्त में इस वर्ष अब बाजरे की फसल काश्त कर रखी है जिसकी देखभाल एवं परवरिश वादी ही करता चला आता है वादी के पिता का सन 1980 में देहान्त हो गया था तथा वे अपनी मृत्यु से लगभग दो–तीन वर्ष पूर्व से सख्त बीमार रहे थे तथा अपनी मृत्यु तक लगातार बिस्तर पर ही रहते थे तथा उनकी चलने फिरने की हालत भी नहीं थी तथा वे अपने दैनिक कार्यों के लिये भी दूसरे लोगों के ऊपर निर्भर रहा करते थे वादी उस वक्त अपनी राज्य सेवा के कारण आमतौर पर अपने घर से बाहर रहता था तथा अपने पिता की उचित देखभाल नहीं कर पाता था तथा इस कारण प्रतिवादी वादी के पिता की सेवा कर दिया करता था तथा उसने अपनी सेवा से वादी के पिता का विश्वास जीत लिया था जिसका नाजायज फायदा उठाकर तथा प्रतिवादी ने वादी के पिता श्री गिरवर सिंह की वृद्धावस्था एवं बीमारी एवं उनके असहाय होने तथा उनके अनपढ़ होने का नाजायज फायदा उठा कर अदम जानकारी वादी एवं अदम जानकारी श्री गिरवर सिंह पिता वादी कतई गुपचुप एवं कतई पोशीदा तौर पर भूमि वादग्रस्त का सरकारी अहलकारान की साजिश से बिना अधिकार एवं बिला बदल दिनांक 20–1–1979 को अपने नाम नामान्तकरण खुलवाकर तस्दीक करा लिया तथा अपने नाम खातेदारी दर्ज करवाली जिसकी जानकारी वादी को दिनांक 23–6–2006 को नकल नामान्तकरण प्राप्त करने से पहले कभी भी नहीं हो सकी तथा अब जानकारी होने पर उक्त नामान्तकरण की अपील जुदागाना प्रस्तुत की जा रही है वादी के पिता ने प्रतिवादी के हक में उक्त भूमि वादग्रस्त का कभी भी अन्तरण नहीं किया है नाही इस बाबत कभी कोई बयान तहसीलदार के समक्ष अथवा कहीं अन्य किसी अधिकारी के समक्ष दिया है तथा नाही इस बाबत कभी कोई लिखावट ही की है, प्रतिवादी ने समस्त कार्यवाही फर्जी एवं साजिशी की है। प्रतिवादी द्वारा अपने नाम उक्त अवैध तौर पर खुलवा लिये नामान्तकरण से अथवा दर्ज करवाली गई खातेदारी के आधार पर उसे भूमि वादग्रस्त में कभी भी कोई कब्जा या काश्त या हक प्राप्त नहीं हुआ है! लेकिन उसने फिर भी भूमि खसरा नम्बर 282, 291 को प्रतिवादी संख्या 3 के पास बिना अधिकार रहन कर भारी रकम उठा ली है। वादी अपने पिता के जीवन काल से ही भूमि वादग्रस्त पर अब तक लगातार काबिज काश्त होकर मुस्तफीद होता चला आता है तथा प्रतिवादी द्वारा अपने नाम उक्त अवैध तौर पर खुलवा लिये नामान्तकरण से अथवा दर्ज करवाली गई खातेदारी से वादी के कब्जे काश्त में कभी कोई विपरीत असर नहीं पड़ा है तथा प्रतिवादी द्वारा बिना अधिकार साजिशी तौर पर खुलवा लिया गया उक्त नामान्तकरण एवं दर्ज करवाली गई खातेदारी शुरू से ही कतई शून्य एवं निरर्थक है तथा बर खिलाफ वादी कतई बेअसर है लेकिन अब प्रतिवादी अपने नाम दर्ज करा ली गई उक्त अवैध खातेदारी की आड़ में भूमि वादग्रस्त को दीगर लोगों को अन्तरण करने एवं ऐसे अन्तरण करके उसकी एवज में भारी रकम प्राप्त करने को आमादा हो रहा है जिस हेतु उसने दिनांक 23–6–2006 को गांव व आसपास के लोगों से सौदेबाजी करना शुरू कर दिया जिन्होंने जब वादी को बताया तो वादी ने प्रतिवादी से दरियाफ्त किया तो उसने भूमि वादग्रस्त की खातेदारी अपने नाम दर्ज करा लेने बाबत बताया एवं उसे किसी खूंखार व्यक्ति को अन्तरण करने का इरादा जाहिर किया तो वादी ने तुरन्त ही नकल नामान्तकरण प्राप्त की जिससे वादी को प्रतिवादी द्वारा सन 1979 में अपने नाम नामान्तकरण खुलवाने एवं खातेदारी दर्ज कराने बाबत सर्व प्रथम इल्म हुआ है अतः यह दावा बिना देरी प्रस्तुत कर दिया है प्रतिवादी का भूमि वादग्रस्त में कतई कोई हक या कब्जा या हिस्सा नहीं है लेकिन वह फिर भी जबरन वादी को उसके खातेदारी एवं हक हकूक एवं कब्जे काश्त की भूमि वादग्रस्त से बेदखल करने तथा उस पर नाजायज कब्जा करने तथा उसे दीगर लोगों को अन्तरित करने को आमादा हो रहा है जिसका उसे कतई कोई अधिकार नहीं है लेकिन फिर भी उसने दिनांक 23–6–2006 को गांव में दीगर लोगों से सौदे बाजी की है तथा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर वादी को जबरन बेदखल करने को आमादा है, उक्त सूरत में यदि प्रतिवादी को तुरन्त ही पाबन्द नहीं किया गया तो वह फौरन ही भूमि वादग्रस्त से वादी को जबरन बेदखल कर देगा, तथा भूमि वादग्रस्त को दीगर लोगों को अन्तरण करके दीगर लोगों के जरिये वादी को जबरन बेदखल करा देगा, जिससे वादी को नुकसाने अजीम नाकाबिले तलाफी एवं तावून होगा, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार सम्भव नहीं हो सकेगी तथा पक्षकारान में बेतीस मुकदमेबाजी चल पड़ेगी जो बाइसे बर्बादी पक्षकारान होगी तथा वादी के हकूक खातेदारी का हनन होगा वादी को बिनाय दोम दावा एवं बिनाय मुखासमत दिनांक 23–6–2006 को प्रतिवादी द्वारा

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
[illegible]

भूमि वादग्रस्त से वादी को जबरन बेदखल करने का इरादा करके उसे किसी झगड़ालू एवं खूंखार व्यक्ति को बेचने हेतु सौदेबाजी करने से तथा दिनांक 23-6-2006 को वादी द्वारा नकल नामान्तकरण एकल जमा प्राप्त करने पर वादी को प्रतिवादी द्वारा भूमि वादग्रस्त की साजिशी तौर पर अपने नाम खातेदारी दर्ज करा लेने एवं नामान्तकरण खुलवा लेने बाबत सर्व प्रथम जानकारी होने से अन्दर हदूद अदालत हाजा उत्पन्न हुई है अतः दावा अन्दर मयाद पेश है।

अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा वादी बहक वादी एवं – बरखिलाफ प्रतिवादी निम्न प्रकार डिक्री किये जाने की कृपा की जावे– ग्राम मैडी तह० बसवा की सन में स्थित भूमि काश्त आराजियात खसरा नम्बर 282 रकबा 2-71 है० चाही खसरा नम्बर 291 रकबा 0-03 है०, गै.मु.चाह खसरा नम्बर 292 रकबा 0-03 है०, गै० मु० चाह कुल किता ख० न० 3 बरकबा कुल 2-23 है०, भूमि वादग्रस्त, वादी के तन्हा कब्जे काश्त एवं हकूक खातेदारी की भूमि है तथा इसी अनुसार भूमि वादग्रस्त की खातेदारी वादी के हक में दर्ज खाते खतौनी जमाबन्दी इत्यादी कराई जावे।

प्रतिवादी को जरिये हुक्म इम्तनाई दवामी इस अमर से पाबन्द किया जावे कि वह भूमि वाद ग्रस्त से वादी को जबरन बेदखल करने से तथा स्वं कब्जा नाजायज करने से या किसी दीगर शख्स को अन्तरण करने से तथा उसे किसी भी प्रकार से रहन बय करने से अथवा कब्जा कराने से दवामी तौर पर बाज व मुमानियत रहे तथा वादी के शान्ती पूर्वक कब्जे काश्त मे कतई किसी प्रकार माने अथवा मजाहमत नहीं करें खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादी से दिलाया जावे, तथा अन्य दादरसी जो करीने इन्साफ एवं मुफीद वादी हो बहक वादी और अता फरमाई जावे।

वाद वादीगण दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादीगण की कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जवाब पेश किया गया जो संक्षिप्त मे निम्न प्रकार है– वाद पत्र जिम्मन नम्बर एक जिस प्रकार वर्णित है स्वीकार नही है। भूमि काश्त खसरा नम्बर 282,291 प्रतिवादी की खातेदारी भूमि है व खसरा नम्बर 292 गैर मुमकिन चाह में प्रतिवादी का 1/2 हिस्सा है प्रतिवादी अपनी भूमि पर काबिज है और काश्त करता चला आ रहा है व वर्तमान मे 5 बीघा भूमि मे बाजरे की फसल खड़ी है व शेष भूमि पड़त छोड़ रखी है तथा ख०न० 282 में एक नयी बोरिंग बना रखी है। वादी जो एक पढ़ा लिखा अध्यापक है ने कतई असत्य वर्णन कर अपनी हक हकूक खातेदारी की भूमि बतलायी है जो राजस्व अभिलेख मे विरूद्ध है और जान बूझकर वादी ने सही तथ्यों को छिपाया है। प्रतिवादी ने अपने खेत मे ही पाटौल डालकर रिहायशी कर रखी है। चरण संख्या 2 वाद पत्र जिस प्रकार वर्णित है स्वीकार नही है भू प्रबन्ध के पूर्व विवादित भूमि के खसरा नम्बर 141,142,156 लगायत 160 रहे है। तथा खसरा नम्बर 292 का भू प्रबन्ध के पूर्व खसरा नम्बर 162 होना स्वीकार है विवादित भूमि वादी के पिता व प्रतिवादी के पिता की सम्मिलित परिवार की भूमि रही है। परन्तु प्रतिवादी के पिता की मृत्यु होने पर व वादी के पिता मुखिया होने के नाते इन्द्राज वादी के पिता के नाम हुआ। प्रतिवादी के पिता की मृत्यु के समय प्रतिवादी की आयु 8 वर्ष व प्रतिवादी के भ्राता मदन सिंह आयु करीब 13 वर्ष थी जिनका लालन पालन श्री गिरवर सिंह जी के द्वारा सम्मिलित रहते हुये किया था। बिजली चाह संख्या 162 मे गिरवरसिंह व मूल सिंह जी के नाम सम्मिलित लगायी थी और वादी के नाम पृथक से कोई विद्युत सम्बन्ध नही है। बोरिंग व आबादी वादी के खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 315,552,553,554 मे है। तथा विवादित भूमि व चाह से वादी का कोई सम्बन्ध नही है। चरण संख्या 3 वाद पत्र स्वीकार नही है। गिरवर सिंह की मृत्यु सन 1980 मे होना स्वीकार है परन्तु उनका 2,3 वर्ष से बिमार होना कतई स्वीकार नही है। वादी के पिता मरने से पूर्व तक स्वयं अपने सारे कार्य निपटाते रहे थे व स्वतन्त्र रूप से सोचने के अधिकारी रहे है। वादी का यह कथन कि वादी का पिता बीमार थी व वृद्ध अवस्था का नाजायज फायदा उठाकर प्रतिवादी ने चुप चुप राजस्व कर्मचारियो से मिलकर अपने नाम नामान्तरण खुलवाया हो वादी को नामान्तरण तथा प्रतिवादी के नाम खातेदारी होने का शुरू से ही जानकारी है तथा बिजली का बिल गिरवर सिंह व मूल सिंह के नाम से आ रहा है जिसकी राशि वादी व प्रतिवादी द्वारा सम्मिलित मे जमा करवायी जाती है ऐसी सूरत मे जानकारी का अभाव होने का कथन कतई मिथ्या है। वादी पढ़ा लिखा अध्यापक है जबकि प्रतिवादी अनपढ़ है। वाद का चरण संख्या 4 स्वीकार नही है गिरवर सिंह की खातेदारी मे सम्मिलित परिवार की भूमि होने के कारण राजी खुशी व रजामन्दी से बंटवारा किया गया जिससे विवादित भूमि प्रतिवादी के हिस्से मे आयी और भू प्रबन्ध के पूर्व खसरा नम्बर 173,174,203,181 कुल किता 4 कुल रकबा 15 बीघा 6 बिस्वा भूमि वादी के पिता के हिस्से मे आयी और जिनका इन्द्राज अलग अलग राजस्व अभिलेख मे किया गया। प्रतिवादी को केवल 8 बीघा 14 बिस्वा भूमि दी गयी है

(हस्ताक्षर)
महानगर कलेक्टर (फास्ट ट्रैक)
जयपुर

और काबिज है तथा काश्त कर रहा है। खसरा नम्बर 162 गैर मुमकिन चाह में वादी व प्रतिवादी का 1/2 हिस्सा बराबर है यह सही है कि प्रतिवादी ने अपनी खातेदारी की भूमि पर बैंक लोन प्राप्त किया है जिसकी जानकारी वादी को है प्रतिवादी भूमि पर करीब 50 वर्ष से काबिज चला आ रहा है और काश्त करता है तथा वादी के पिता के जीवन काल में प्रतिवादी व उसका भाई मदन सिंह काश्त करते चले आ रहे है। प्रतिवादी के पिता ने स्वंय ने कभी कोई काश्त नही की है। वाद पत्र का पैरा संख्या 5 स्वीकार नही तथा वर्णित कथन मिथ्या है प्रतिवादी की खातेदारी व रजामन्दी वादी के पिता गिरधर सिंह की बंटवारा करने पर प्राप्त हुयी है यह कथन गलत है कि प्रतिवादी भूमि को अन्तरण करना चाहता है भूमि को बैंक रहन है ऐसी परिस्थिति में अन्तरण का कोई सवाल ही पैदा नही होता है प्रतिवादी की खातेदारी की जानकारी उनके वादी को पिता के जीवन काल से ही है। वादी ने स्वय ने अपने पिता की ओर से प्रतिवादी के सम्मिलित विद्युत कनैक्शन लेने का कार्य स्वयं वादी द्वारा किया गया तथा विद्युत कनैक्शन प्राप्त करने की कार्यवाही पढा लिखा होने के कारण स्वंय ने की है परन्तु अब भूमि हडपने के नाते सही तथ्यो को छिपाकर मिथ्या कथन करने पर उतारू है। प्रतिवादी का अपनी खातेदारी भूमि को बेचने का कोई इरादा नही है। प्रतिवादी भूमि पर काबिज है व काश्त करता चला आ रहा है। वादी का भूमि पर कोई कब्जा नही है और न कभी रहा। अनुतोष स्वीकार नही है।

पक्षकारान का सिजरा खानदान इस प्रकार है:-

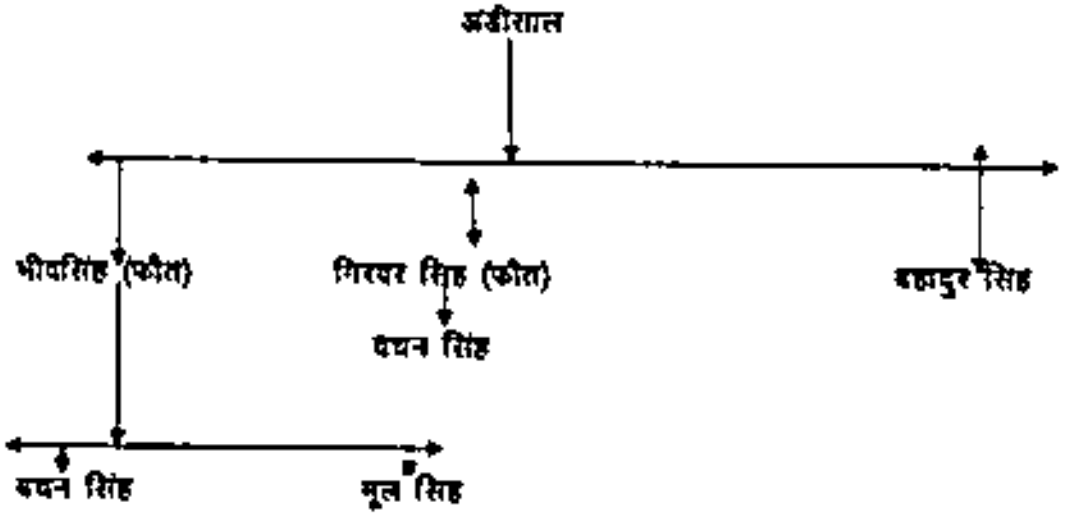

बहादुर सिंह बहुत पहले ही परिवार से अलग हो गया था एवं भीव सिंह की मृत्यु हो जाने के कारण व प्रतिवादी के भ्राता मदन सिंह नाबालिग होने के कारण गिरधर सिंह के साथ रहे। और गिरधरसिंह ने ही लालन पालन किया और छोटी उम्र मे ही काश्त करने लग गये और अब काश्त ही जीवनकोपार्जन का साधन है। भूमि काश्त साबिका खसरा नम्बर 141,142,156, लगायत 162,173,174,293 कुल किता 12 कुल रकबा 24 बीघा 1 बिस्वा परिवार में मुखिया व बडे होने के नाते जागीर प्रथा में भूमि का इन्द्राज गिरधरसिंह के नाम किया। भूमि पारिवारिक व शामिल की थी जिसमे रजामन्दी से बटवारा किया जाकर विवादित भूमि प्रतिवादी के हिस्से में आयी और खातेदारी में दर्ज की गई जो राजस्व अभिलेख की जानकारी वादी को शुरू से ही है लेकिन सत्यता को जानबूझकर छिपा रहा है व खसरा नम्बर 173,174,161,293 कुल किता 4 रकबा 15 बीघा 5 बिस्वा भूमि गिरधर सिंह के हिस्से में आयी और उनके नाम इन्द्राज किया गया जो वर्तमान में वादी के नाम खातेदारी में है तथा उसी में वादी के मकान बने हुये है और वादी काश्त करवाता है तथा वादी स्वयं सरकारी संवायें है जो कोई भी काश्त नही करता है। प्रतिवादी विवादित भूमि पर बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज है और काश्त करता है इसलिये वाद पत्र पोषनीय नही है। प्रतिवादी 50 साल से भी ज्यादा अर्से से भूमि पर काबिज चला आ रहा है व काश्तकार खातेदार है प्रतिवादीगण साधिकार विवादित भूमि पर प्रतिकूल कब्जे से भी काबिज होने के कारण खातेदार काश्तकार बने चुके है। वादी व प्रतिवादी अलग अलग खसरा नम्बरान में खातेदार काश्तकार है। तथा खसरा नम्बर पुराने 162 चाह में शामिल में विद्युत कनैक्शन लेकर काश्त करते चले आ रहे है। जिसकी जानकारी वादी को बखूबी है। परन्तु वादी येन केन प्रकारेण प्रतिवादी को उसकी खातेदारी की भूमि से वंचित करने पर आमादा है। इसलिये गलत

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक)
चौमूं

दावा पेश किया है। दावा मियाद बाहर है। दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादी मय खर्चा खारिज करमाया जावे।

प्रकरण में प्रतिवादी का उक्त जवाब पेश होने पर प्रकरण में निम्न प्रकार तनकीयात कायम की गई:-

तनकी संख्या 1 आया विवादित में काबे कास्त के खातेदारी घोषणा कराने के अधिकारी है। वादी.

तनकी संख्या 2 आया विवादित भूमि में स्थाई निषेधाज्ञा पाने के वादी अधिकारी है। वादी.....।

प्रकरण में उक्त तनकीयात कायम होने के बाद प्रकरण वादी साक्ष्य पर नियत किया गया। वादी की ओर से पी डब्लू 1 बदन सिंह पुत्र गिरवर सिंह का साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया गया जिरह प्रतिवादी अधिवक्ता की गई वादी साक्ष्य बन्द की जाकर प्रकरण प्रतिवादी साक्ष्य पर नियत किया गया। प्रतिवादी की ओर से रघुराज सिंह पुत्र मूलसिंह निर्मल सिंह का साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया गया जिरह हेतु प्रतिवादी उपस्थित नही होने पर प्रतिवादी साक्ष्य बन्द की जाकर प्रकरण बहस पर नियत किया गया।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। बहस के दौरान वादी अधिवक्ता द्वारा तर्क किया है कि भूमि वादग्रस्त की खातेदारी वादी के पिता श्री गिरवर सिंह के नाम दर्ज रिकार्ड रही थी तथा वादी के पिता श्री गिरवर सिंह ही उक्त भूमि वादग्रस्त पर अपने जीवन पर्यन्त काबिज कास्त होकर मुस्तफीद होते रहे तथा बाद फोतगी श्री गिरवर सिंह वादी ही उक्त भूमि वादग्रस्त पर काबिज कास्त होकर मुस्तफीद होता चला आ रहा है तथा सरकारी लगान अदा करता चला आ रहा है। उक्त भूमि वादग्रस्त से प्रतिवादी का कतई कोई सरोकार नही है। भूमि वादग्रस्त में वादी ने अपनी बोरिंग खुदवा कर बिजली लगा रखी है तथा अपनी आबादी बसा रखी है तथा लगभग 5 बीघा भूमि वादग्रस्त में इस वर्ष अब बाजरे की फसल काश्त कर रखी है जिसकी देखभाल एवं परवरिश वादी ही करता चला आता है वादी के पिता का सन 1980 में देहान्त हो गया था तथा वे अपनी मृत्यु से लगभग दो-तीन वर्ष पूर्व से सख्त बीमार रहे थे तथा अपनी मृत्यु तक लगातार बिस्तर पर ही रहते थे तथा उनकी चलने फिरने की हालत भी नही थी तथा वे अपने दैनिक कार्यों के लिये भी दूसरे लोगों के ऊपर निर्भर रहा करते थे वादी उस वक्त अपनी राज्य सेवा के कारण आमतौर पर अपने घर से बाहर रहता था तथा अपने पिता की उचित देखभाल नही कर पाता था तथा इस कारण प्रतिवादी वादी के पिता की सेवा कर दिया करता था तथा उसने अपनी सेवा से वादी के पिता का विश्वास जीत लिया था जिसका नाजायज फायदा उठाकर तथा प्रतिवादी ने वादी के पिता श्री गिरवर सिंह की वृद्धावस्था एवं बीमारी एवं उनके असहाय होने तथा उनके अनपढ़ होने का नाजायज फायदा उठा कर अदम जानकारी वादी एवं अदम जानकारी श्री गिरवर सिंह पिता वादी कतई गुपचुप एवं कतई पोशीदा तौर पर भूमि वादग्रस्त का सरकारी अहलकारान की साजिश से बिना अधिकार एवं बिना बदल दिनांक 20-1-1979 को अपने नाम नामान्तकरण खुलवाकर तस्दीक करा लिया तथा अपने नाम खातेदारी दर्ज करवाली जिसकी जानकारी वादी को दिनांक 23-8-2006 को नकल नामान्तकरण प्राप्त करने से पहले कभी भी नही हो सकी तथा अब जानकारी होने पर उक्त नामान्तकरण की अपील जुदागाना प्रस्तुत की जा रही है वादी के पिता ने प्रतिवादी के हक में उक्त भूमि वादग्रस्त का कभी भी अन्तरण नही किया है नाही इस बाबत कभी कोई बयान तहसीलदार के समक्ष अथवा कहीं अन्य किसी अधिकारी के समक्ष दिया है तथा नाही इस बाबत कभी कोई लिखावट ही की है. प्रतिवादी ने समस्त कार्यवाही फर्जी एवं साजिशी की है। प्रतिवादी द्वारा अपने नाम एक अवैध तौर पर खुलवा लिये नामान्तकरण से अथवा दर्ज करवाली गई खातेदारी के आधार पर उसे भूमि वादग्रस्त में कभी भी कोई कब्जा या कास्त या हक प्राप्त नही हुआ है। अंत वाद पत्र स्वीकार किया जाकर भूमि वादग्रस्त की खातेदारी वादी के नाम की जावे।

प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा जवाब दावे को दोहराते हुये तर्क किया है कि प्रतिवादी के पिता की मृत्यु होने पर व वादी के पिता मुखिया होने के नाते इन्द्राज वादी के पिता के नाम हुआ। प्रतिवादी के पिता की मृत्यु के समय प्रतिवादी की आयु 8 वर्ष व प्रतिवादी के चाचा मदन सिंह आयु करीब 13 वर्ष थी जिनका लालन पालन श्री गिरवर सिंह जी के द्वारा सम्मिलित रहते हुये किया था। बिजली चाह संख्या 162 में गिरवरसिंह व मूल सिंह जी के नाम सम्मिलित लगायी थी और वादी के नाम पृथक से कोई विद्युत सम्बन्ध नही है। बोरिंग व आबादी वादी के खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 318,552,553,554 में है। तथा विवादित भूमि व चाह से वादी का कोई सम्बन्ध नही है। गिरवर सिंह की मृत्यु सन 1980 मे होना स्वीकार है परन्तु उनका 2,3 वर्ष से बिमार होना कतई स्वीकार नही है। वादी के पिता मरने से

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
धौलपुर

पूर्व तक स्वंय अपने सारे कार्य निपटाते रहे थे व स्वतन्त्र रूप से सोचने के अधिकारी रहे है। वादी का यह कथन कि वादी का पिता बीमार थी व वृद्ध अवस्था का नाजायज फायदा उठाकर प्रतिवादी ने गुप चुप राजस्व कर्मचारियों से मिलकर अपने नाम नामान्तरण खुलवाया हो वादी को नामान्तरण तथा प्रतिवादी के नाम खातेदारी होने का शुरू से ही जानकारी है तथा बिजली का बिल गिरधर सिंह व मूल सिंह के नाम से आ रहा है जिसकी राशि वादी व प्रतिवादी द्वारा सम्मिलित मे जमा करवायी जाती है ऐसी सूरत मे जानकारी का अभाव होने का कथन कतई मिथ्या है। वादी पढा लिखा अध्यापक है जबकि प्रतिवादी अनपढ है। गिरधर सिंह की खातेदारी मे सम्मिलित परिवार की भूमि होने के कारण राजी खुशी व रजामन्दी से बंटवारा किया गया जिससे विवादित भूमि प्रतिवादी के हिस्से मे आयी और भू प्रबन्ध के पूर्व खसरा नम्बर 173,174,293,161 कुल किता 4 कुल रकबा 15 बीघा 5 बिस्वा भूमि वादी के पिता के हिस्से मे आयी और जिनका इन्द्राज अलग अलग राजस्व अभिलेख मे किया गया। प्रतिवादी को केवल 8 बीघा 14 बिस्वा भूमि दी गयी है और काबिज है तथा काश्त कर रहा है। अत दावा खारिज किया जावे।

बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया एवं पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रकरण का तनकी वार निर्णय निम्न है:-

तनकी संख्या 1 आया विवादित मे कब्जे काश्त के खातेदारी घोषणा कराने के अधिकारी है। उक्त तनकी को साबित करने का भार वादी पर है वादी द्वारा वाद की ताईद मे प्रदर्श 1 ग्राम मेढी की जमाबन्दी संवत 2061 खाता संख्या नया 43 पुराना 41 खसरा नम्बर 292 पेश की है जिसकी खातेदारी कप्तान सिंह पुत्र गिरधरसिंह 1/2 मूलसिंह पुत्र भीवा सिंह तथा खाता संख्या नया 64 पुराना 89 खसरा नम्बर 282,291 मूलसिंह पुत्र भीवा सिंह के नाम दर्ज है। प्रदर्श 2 मिलान क्षेत्रफल संवत 2025 से 2071 प्रदर्श 3 संवत 2031-2034 खाता संख्या 13 जमाबंदी ग्राम मेढी की पेश की गई है। जिसके अनुसार साबिक खसरा नम्बर 141,142,156 लगायत 162,171, 174, 293 की खातेदारी गिरधर सिंह पुत्र अर्जुनलाल सिंह के नाम दर्ज है। वादी का कथन है कि भूमि वादग्रस्त मे वादी ने अपनी बोरिंग खुदवा कर बिजली लगा रखी है तथा अपनी आबादी बसा रखी है तथा लगभग 6 बीघा भूमि वादग्रस्त मे इस वर्ष अब बाजरे की फसल काश्त कर रखी है जिसकी देखभाल एवं परवरिश वादी ही करता चला आता है वादी के पिता का सन 1980 मे देहान्त हो गया था तथा वे अपनी मृत्यु से लगभग दो-तीन वर्ष पूर्व से सख्त बीमार रहे थे तथा अपनी मृत्यु तक लगातार बिस्तर पर ही रहते थे तथा उनकी चलने फिरने की हालत भी नहीं थी तथा वे अपने दैनिक कार्यों के लिये भी दूसरे लोगों के ऊपर निर्भर रहा करते थे वादी उस वक्त अपनी राज्य सेवा के कारण आमतौर पर अपने घर से बाहर रहता था तथा अपने पिता की उचित देखभाल नहीं कर पाता था तथा इस कारण प्रतिवादी वादी के पिता की सेवा कर दिया करता था तथा उसने अपनी सेवा से वादी के पिता का विश्वास जीत लिया था जिसका नाजायज फायदा उठाकर तथा प्रतिवादी ने वादी के पिता श्री गिरधर सिंह की वृद्धावस्था एवं बीमारी एवं उनके असहाय होने तथा उनके अनपढ होने का नाजायज फायदा उठा कर अदम जानकारी वादी एवं अदम जानकारी श्री गिरधर सिंह पिता वादी कतई गुपचुप एवं कतई पोशीदा तौर पर भूमि वादग्रस्त का सरकारी अहलकारान की साजिश से बिना अधिकार एवं बिला बदल दिनांक 20-1-1979 को अपने नाम नामान्तकरण खुलवाकर तस्दीक करा लिया तथा अपने नाम खातेदारी दर्ज करवाली जिसकी जानकारी वादी को दिनांक 23-6-2006 को नकल नामान्तकरण प्राप्त करने से पहले कभी भी नहीं हो सकी।दावा स्वीकार किया जाकर खातेदारी वादी के नाम दर्ज की जावे। प्रतिवादी का कथन है कि गिरधर सिंह की खातेदारी मे सम्मिलित परिवार की भूमि होने के कारण राजी खुशी व रजामन्दी से बंटवारा किया गया जिससे विवादित भूमि प्रतिवादी के हिस्से मे आयी और भू प्रबन्ध के पूर्व खसरा नम्बर 173,174,293,161 कुल किता 4 कुल रकबा 15 बीघा 5 बिस्वा भूमि वादी के पिता के हिस्से मे आयी और जिनका इन्द्राज अलग अलग राजस्व अभिलेख मे किया गया। प्रतिवादी को केवल 8 बीघा 14 बिस्वा भूमि दी गयी है और काबिज है तथा काश्त कर रहा है। अत दावा खारिज किया जावे। पत्रावली मे मौजूद नामान्तरण संख्या 78 की प्रमाणित प्रति अनुसार रजामन्दी तकासमा नामान्तरण मूलसिंह के नाम तहसीलदार के आदेश द्वारा खोला गया है एवं पत्रावली मे उपलब्ध अपील नामान्तरण निर्णय माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा निर्णय दिनांक 11.01.2007 एवं माननीय न्यायालय अति.सम्भागीय आयुक्त जयपुर के निर्णय दिनांक 18.06.2007 की प्रमाणित प्रतिया अनुसार वादग्रस्त भूमि के नामान्तरण की अपील वादी द्वारा की गई थी जो खारिज की जा चुकी है।जिससे साबित है कि वादग्रस्त भूमि मे किया

(हस्ताक्षर)

न्यायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
दौसा

गया नामान्तरण विधिवत खोला जाना प्रतीत होता है। इसलिये वादग्रस्त भूमि में वादी उद्घोषणा करवाने का अधिकारी नहीं है। उक्त तनकी को साबित करने में वादी असफल रहे है। तनकी संख्या 1 वादी के पक्ष में नहीं है।

तनकी संख्या 2 आया विवादित भूमि में स्थाई निषेधाज्ञा पाने के वादी अधिकारी है। उक्त तनकी को साबित करने का भार वादी पर वादी द्वारा पेश वर्तमान जमाबन्दी के आधार वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी की खातेदारी भूमि है। किसी खातेदार को उसकी खातेदारी भूमि स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित नहीं है। उक्त तनकी को साबित करने में वादी असफल रहा है।

तनकी संख्या 3 अनुतोष– वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम नामान्तरण संख्या 79 रजामंदी तकासमा के नामान्तरण से प्राप्त हुयी है। अपील नामान्तरण निर्णय माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा निर्णय दिनांक 11.01.2007 एवं माननीय न्यायाल अति.सम्भागीय आयुक्त जयपुर के निर्णय दिनांक 18.08.2007 की प्रमाणित प्रतियां अनुसार वादग्रस्त भूमि के नामान्तरण की अपील वादी द्वारा की गई थी जो खारिज की जा चुकी है। जिससे साबित है वादग्रस्त भूमि में वादी खातेदारी की उद्घोषणा करवाने के अधिकारी नहीं है। दावा वादी पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि वाद वादी दावा इस्तकरारहक एवम् हुक्म इम्तनाई दवामी विरूद्ध प्रतिवादी रामा मीणा तह० बसवा हाल बांदीकुई भूमि काश्त आराजियात खसरा नम्बर 282 रकबा 2.71 है० खसरा नम्बर 291 रकबा 0.03 है०, खसरा नम्बर 292 रकबा 10–03 है०, कुल किता ख० न० 3 कुल रकबा 2 23 है०, का पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी होकर प्रकरण बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। मेरे द्वारा आज दिनांक 06.02.2026 को निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

06/2/26

(रामसिंह राजावत)

आर.ए.एस

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक)

[illegible]